डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18 – 21)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),

जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं. — तारीख दायर — तारीख फैसला

02/2021 — 27/12/2021 — 11/09/2023

–उनवान –

1. गोविन्द राम पुत्र चन्दाराम
2. बदामी पत्नि जगदीश
3. विकास वर्मा पुत्र जगदीश

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति बलाई समस्त निवासी ग्राम भैंसावा तहसील फूलेरा जिला जयपुर।

4. रोहित वर्मा पुत्र जगदीश नाबालिक जरिये संरक्षिका माता बदामी पत्नि जगदीश जाति बलाई निवासी ग्राम भैंसावा तहसील फूलेरा जिला जयपुर।

................**वादीगण**

बनाम

1. मांगू पुत्र रामपालदास
2. रामचन्द्र पुत्र रामपालदास
3. हनुमान पुत्र रामपालदास

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति कामड समस्त निवासीयान ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

.......................**प्रतिवादीगण**

उपस्थित अभिभाषक

रमाशंकर शर्मा :– वकील वादी

पेरोकार सरकार :– प्रतिवादी सं. 4

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 202/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर0 ए0 एस0 व हाजिरी श्री. रमाशंकर शर्मा एडवोकेट मिनजातिब पेरोकार सरकार मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता खसरा नम्बर 545 ग्राम ताला स्थित हैं जिसमें प्राथमिक डिकी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

.......................2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	लगान
	चन्दाराम पुत्र भुराराम जाति बलाई सा0 फुलेरा खातेदार	ताला	545/1	0.2833	7.10

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	लगान
	नाथूदास पुत्र लादूराम , मांगु , रामचन्द, हनुमान पुत्र रामपालदास जाति कामड सा0देह खातेदार	ताला	545/2	0.5667	7.10

मौके पर खातेदारान की उपस्थिती में डिकी एवं हिस्से अनुसार निम्न प्रकार बटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया।

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिकी जारी हैं।

मैरे दस्तखत एवं मोहर से आज दिनांक 11.09.2023 को जारी की गई।

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

11/9/23

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),

जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
202/2021	27/12/2021	11/09/2023

–उनवान –

1. गोविन्द राम पुत्र चन्दाराम
2. बदामी पत्नि जगदीश
3. विकास वर्मा पुत्र जगदीश

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति बलाई समस्त निवासी ग्राम भैंसावा तहसील फूलेरा जिला जयपुर।

4. रोहित वर्मा पुत्र जगदीश नाबालिक जरिये संरक्षिका माता बदामी पत्नि जगदीश जाति बलाई निवासी ग्राम भैंसावा तहसील फूलेरा जिला जयपुर।

...............वादीगण

बनाम

1. मांगू पुत्र रामपालदास
2. रामचन्द्र पुत्र रामपालदास
3. हनुमान पुत्र रामपालदास

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति कामड समस्त निवासीयान ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

......................प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादीगण

पैरोकार सरकार :– प्रतिवादी सं. 4

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 545 रकबा 0.8500 हैक्टेयर ग्राम ताला में स्थित हैं जिसमें वादीगण के हकपूर्वाधिकारी चन्दाराम एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 सहखातेदार हैं। जिसमें वादीगण का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 स्थित हैं।

.......................2

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 डिकी फरमाया जाकर भूमि विवादित खसरा नम्बर 545 रकबा 0.8500 हैक्टेयर ग्राम ताला का कब्जे काश्त का अनुसार तकासमा कर वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें।

अतः दिनांक 17–10–2022 को वाद में प्राथमिक डिकी जारी कि जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को कर्रेजात हेतु लिखा गया जिसमे दिनांक 12–06–2023 को आदेशानुसार तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा कुर्रेजात रिर्पोट पेश की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात पर उभयपक्षों को सुना गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। कमीश्नर के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, कमिश्नर के द्वारा बटवारा कर बटवारा रिर्पोट प्रस्तुत की। कमिश्नर ने बटवारा हिस्से अनुसार किया । अतः वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता खसरां नम्बर 545 ग्राम ताला में स्थित हैं का प्राथमिक डिकी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	लगान
	चन्दाराम पुत्र भुराराम जाति बलाई सा0 फुलेरा खातेदार	ताला	545/1	0.2833	7.10

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	लगान
	नाथूदास पुत्र लादूराम , मांगु , रामचन्द, हनुमान पुत्र रामपालदास जाति कामड सा0देह खातेदार	ताला	545/2	0.5667	7.10

मौके पर खातेदारान की उपस्थिती में डिकी एवं हिस्से अनुसार निम्न प्रकार बटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा टेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक **11 सितम्बर 2023** को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/9/23

सहायक कलक्टर (कोर्ट टैक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर